हरिद्वार–रूड़की विकास प्राधिकरण, हरिद्वार

65वीं बैठक का एजेण्डा

दिनांकः 09/03/2018 (परिचालन के माध्यम से)

हरिद्वार–रूडकी विकास प्राधिकरण की 65 वीं बोर्ड बैठक (परिचालन विधि) का कार्यवृत्त

विषय :— जनपद हरिद्वार स्थित उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग द्वारा निर्माणाधीन निरीक्षण कक्ष / निरीक्षण भवन को सील मुक्त करने के सम्बन्ध में।

उत्तरी खण्ड गंग नहर उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग, रूड़की, हरिद्वार द्वारा हरिद्वार–रूड़की मार्ग पर तिरछे पुल के समीप केशव आश्रम मायापुर हरिद्वार में उक्त स्थल पर बेसमेन्ट के निर्माण हेतु खुदाई का कार्य पूर्ण करते हुये राफ्ट हेतु सरिया बिछाने का कार्य किया जा रहा है व किये जा रहे निर्माण की कोई स्वीकृति नही दिखाने के कारण उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम–1973, की धारा 27 / 28 के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस एवं विकास कार्य रोकने सम्बन्धी नोटिस जारी कर अनाधिकृत निर्माण सम्बन्धी वाद संख्या नो0 / हरि0 / 54 / 2016–17 दिनांक 16 जून 2016 अधिशासी अभियन्ता, उत्तरी खण्ड गंग नहर, सिंचाई विभाग रूड़की, हरिद्वार के विरूद्ध योजित किया गया। सिंचाई विभाग द्वारा नोटिस का कोई सन्तोषजनक उत्तर न दिये जाने के कारण प्रश्नगत अनाधिकृत निर्माण को दिनांक 08.07.2016 को सील किया गया था। विपक्षी के द्वारा प्राधिकरण द्वारा लगाई गयी सील को हटाते हुये पुनः निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिये जाने के फलस्वरूप पुनः उक्त अनाधिकृत निर्माण को दिनांक 20.12.2017 को सील किया गया। उक्त निर्माण को पुनः सील करने के पश्चात् अधिशासी अभियन्ता, उत्तरी खण्ड गंग नहर रूड़की ने अपने पत्र दिनांक 21.12.2017 द्वारा सिंचाई विभाग द्वारा किये जा रहे नये गेस्ट हाउस के निर्माण जिसे प्राधिकरण द्वारा सील किया गया था, कि अनुमति प्रदान करने के साथ–साथ राजकीय हित निर्माण को सील मुक्त करने का अनुरोध किया गया है।

इस सम्बन्ध मे अवगत कराना है कि सिंचाई विभाग द्वारा भवन को बार–बार सील मुक्त करने हेतु अनुरोध किया जा रहा है। प्रश्नगत निर्माण हेतु सिंचाई विभाग द्वारा अपनी भूमि का क्षेत्रफल 19400.00 वर्ग मीटर बताया गया है। जिसमें 981.00 वर्ग मीटर में भवन बनाने का उल्लेख है। प्रश्नगत निर्माण को हरिद्वार–रूड़की मार्ग से 12.00 मीटर पहुच मार्ग दिखाया गया है। प्रश्नगत स्थल का हरिद्वार महायोजना–2025 मे भू–उपयोग आश्रम दर्शाया गया है। महायोजना जोनिंग रेगुलेशन के अनुसार न्यूनतम 18.00 मीटर चौड़े मार्ग पर व 1500.00 वर्ग मीटर तक के भूखण्ड क्षेत्रफल मे सामुदायिक भवन, होटल, निरीक्षण भवन, गेस्ट हाउस, व्यवसायिक प्रतिष्ठान आदि आवासीय क्षेत्र मे अधिकतम भू–आच्छादन, क्षेत्रफल व एफ0ए0आर0 की सीमा तक अनुमन्य किये जाने का उल्लेख है। परन्तु 1500.00 वर्ग मीटर से अधिक के भूखण्ड पर होटल, स्थानीय निकाय, राज्य एवं केन्द्र सरकार एवं सार्वजनिक उपकम के कार्यालय प्राधिकरण बोर्ड द्वारा अनुमन्य किये जाने का उल्लेख है, परन्तु निरीक्षण भवन का कोई उल्लेख नहीं है।

चूँकि उक्त भूखण्ड 1500.00 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल का है और स्थल को हरिद्वार–रूड़की मुख्य मार्ग से 12.00 मीटर पहुंच मार्ग पर दिखाया गया है, अतः 12.00 चौड़े मार्ग पर निरीक्षण भवन/नियन्त्रण कक्ष की अनुमति दिये जाने हेतु प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड द्वारा परिचालन विधि से अनुमोदित।

उपाध्यक्ष
हरिद्वार–रूडकी विकास प्राधिकरण,
हरिद्वार

जिलाधिकारी,
हरिद्वार

वरिष्ठ नगर एवं ग्राम नियोजक
ग्राम्य एवं नगर नियोजक, विभाग
उत्तराखण्ड, देहरादून

नगर आयुक्त
नगर निगम,
हरिद्वार

अध्यक्ष,
नगर पंचायत, मुनि की रेती,
टिहरी

कार्यालय हरिद्वार–रूडकी विकास प्राधिकरण,हरिद्वार

संख्या : 3662/प्रशा0–2(क)–22/79/2017–18 दिनांकः– 09/03/2018

1– उप सचिव, शाखा कार्यालय, ह0रू0वि0प्रा0, ऋषिकेश।
2– मुख्य वित्त अधिकारी, ह0रू0वि0प्रा0, हरिद्वार।
3– अधिशासी अभियन्ता, ह0रू0वि0प्रा0, हरिद्वार ।
4– समस्त सहायक अभियन्ता, ह0रू0वि0प्रा0, हरिद्वार।
5– समस्त अवर अभियन्ता/मानचित्रकार/सर्वेयर।
6– प्रशासनिक अधिकारी/वरिष्ठ सहायक/समस्त सहायक।

प्राधिकरण की 65वीं बोर्ड बैठक दिनांक 09.03.2018 (परिचालन के माध्यम से) के कार्यवृत्त की छायाप्रति संलग्न कर इस आशय से प्रेषित है कि अपने–अपने अनुभाग से सम्बन्धित कार्यवृत्त में लिये गये निर्णय के अनुसार अनुपालन करते हुए कृत कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नः उपरोक्तानुसार।

सचिव
o/c हरिद्वार–रूडकी विकास प्राधिकरण
हरिद्वार

प्रतिलिपिः
उपाध्यक्ष महोदय को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

o/c सचिव

प्रेषक,

सचिव,
हरिद्वार–रूडकी विकास प्राधिकरण,
हरिद्वार।

सेवा में,

1. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड़ शासन, देहरादून।
2. प्रमुख सचिव, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड़ शासन, देहरादून।
3. प्रमुख सचिव, आवास विभाग, उत्तराखण्ड़ शासन, देहरादून।
4. प्रमुख सचिव, तीर्थाटन/पर्यटन विभाग, उत्तराखण्ड़ शासन, देहरादून।
5. प्रमुख सचिव, पेयजल विभाग, उत्तराखण्ड़ शासन, देहरादून।
6. जिला मजिस्ट्रेट, हरिद्वार।
7. उपाध्यक्ष, हरिद्वार–रूडकी विकास प्राधिकरण, हरिद्वार।
8. वरिष्ठ नगर एवं ग्राम नियोजक, ग्राम्य एवं नगर नियोजक विभाग, उत्तराखण्ड़, देहरादून।
9. मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम, हरिद्वार।
10. अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद, ऋषिकेश।
11. अध्यक्ष, नगर पंचायत, मुनिकीरेती, टिहरी गढवाल।
12. अध्यक्ष, नगर पंचायत, रानीपुर हरिद्वार।

संख्या : 3662/प्रशा0–2(क)–22/79/2017–18 दिनांकः 09/03/2018

विषय : **हरिद्वार–रूडकी विकास प्राधिकरण की 65वीं बोर्ड बैठक दिनांक 09.03.2018 के कार्यवृत्त का प्रेषण।**

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि हरिद्वार–रूडकी विकास प्राधिकरण की 65वीं बोर्ड बैठक अध्यक्ष, ह0रू0वि0प्रा0/आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी की अध्यक्षता में दिनांक 09.03.2018 को **(परिचालन के माध्यम से)** सम्पन्न हुई। बैठक का कार्यवृत्त संलग्न कर अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(बंशीधर तिवारी)
सचिव

प्रतिलिपिः–

अध्यक्ष, ह0रू0वि0प्रा0/आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी को उक्त कार्यवृत्त की एक प्रति संलग्न कर सादर प्रेषित है।

(बंशीधर तिवारी)
सचिव